




# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर  
पूनम शर्मा बनाम ओमप्रकाश शर्मा वगैरा

क्रिसम मुकदमा दावा अन्तर्गत धारा 53,88, 188 आर.टी.एक्ट मु0 नं0 .....सन -2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज:	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.09.2024	<p>दावा वकील वादी श्री मनोज जैन विद्वान एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्ने रजिस्टर्ड नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 16-10-2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उप खण्ड अधिकारी                      अलवर                 </p> <p> <i>पत्रावली आज शब्दों में अदालत की भावना के साथ है। अदालत में पेश-मनोका जैन से अदालत में पेश-होकर बाद नोटिस तलब क्रिसम दावा पर प्रारंभ प्रस्तुत किया। अतः आद आदी इसी तरह पर शब्दों। अदालत में खारिज किया जाता है। पत्रावली भावना से केम होकर आद आदी नोटिस तलब पर है।</i> </p> <p style="text-align: center;">                       राष्ट्रीय लोक अदालत                      अलवर (राज०)                 </p> <p style="text-align: center;">                       अदालत                      राष्ट्रीय लोक अदालत                      अलवर (राज०)                 </p>	<p>NOT RECD</p> <p>M. J. (कोजरी) 21.09.2024</p> <p>(वकीलवादी)</p>